



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkzV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2024 /

दिनांक:-

2024

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एवं उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-21/स्थापना/2022/4226-4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 28 फरवरी 2024 को प्राधिकरण कार्यालय में साय: 04.30 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर सलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 01 :: राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 1000/ 320 रकबा 8.5441 है. किस्म गै.मु गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग Rural प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार " राज्य के समस्त शहरों के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग यथा- पार्क, खुले-स्थल, ईको-सेंसिटिव जोन, प्लानटेशन जोन एवं ईकोलोजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदयपुर मास्टर प्लान एवं अन्य शहरों के मास्टर प्लान के अन्तर्गत जी-1 व जी-2 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर नगरीय क्षेत्र में अन्य सभी भू-उपयोग में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों, राजकीय सामुदायिक भवन, राजकीय शैक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएँ, सरकारी/अद्वसरकारी प्रशिक्षण संस्थान, ग्रीनलैंड/मिडी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति पार्क, खेल-मैदान, स्टेडियम (डनडोर/ऑउटडोर), स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जनउपयोगी सुविधाएँ यथा- सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, ग्रिड सब स्टेशन, जल अतिरिक्त बॉर्डर फिल्टर एवं ट्रिटमेंट प्लाट, पुलिस लाईन, पुलिस चौकी, श्मशान, कब्रिस्तान, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड /

Signature valid

Digitally signed by Dr. Harjeet Singh

Designation: Secretary, अग्निशमन

Date: 2024.03.13 17:59:21 IST

Reason: Approved

पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग, टॉउन हॉल, डेयरी बूथ, सुलभ शौचालय इत्यादि सुविधाएँ अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। इसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में समस्त क्षेत्रफल हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर, निर्णय राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त विभागों एवं प्राधिकरणों/न्यासों/ स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रकरण में विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 1000/320 में कोई वाद लंबित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 02 :: राजस्व ग्राम नन्दवान खसरा संख्या 569 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ नन्दवान को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम नन्दवान खसरा संख्या 569 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ नन्दवान को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम नन्दवान खसरा संख्या 569 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 रकबा 72.0096 किस्म गे.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की अतः आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031 अनुसार भू-उपयोग कारपरेंट प्राधिकरण राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र का अलग से उल्लेख नहीं हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्र 03.06.2022 के

Signature valid

Digitally signed by Dr. Harjeet Singh

Designation: Secretary

Date: 2024.03.13 17:59:21 IST

Reason: Approver

अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग का छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। उक्त भूमि जोनल प्लान की 36 मीटर सड़क पर स्थित हैं।

प्राधिकरण की विधी शाखा के ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार S.B. Civil W.P. (PIL) No. 1133/2022/ 2022 वादी ग्राम पंचायत नन्दवान प्रतिवादी J.D.A & ORS राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं, जोधपुर में लम्बित हैं। जनहित याचिका विचाराधीन हैं इसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही किये जाने का लिखा गया हैं।

अतः राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम नन्दवान खसरा संख्या 569 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम नन्दवान खसरा संख्या 569 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 03 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा खसरा संख्या 157 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा खसरा संख्या 157 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम तनावड़ा खसरा संख्या 157 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 2,5576 है. किस्म गे.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग Public & Semi-Public Utilities प्रयोजन आरक्षित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्राधिकरण को छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। आदेश दिनांक 03.06.2022

Signature valid
Digitally signed by Dr. Kareetima
6090843
Reason: Approved
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST

03.06.2022 अनुसार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम तनावड़ा खसरा संख्या 157 में कोई वाद लम्बित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम तनावड़ा खसरा संख्या 157 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम तनावड़ा खसरा संख्या 157 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 04 :: राजस्व ग्राम भाण्डु खुर्द खसरा संख्या 301/300 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ भाण्डु खुर्द को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम भाण्डु खुर्द खसरा संख्या 301/300 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम भाण्डु खुर्द खसरा संख्या 301/300 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। ग्राम भाण्डु खुर्द के खसरा संख्या 301/300 रकबा 32.6471 है. किस्म गे.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। मौके पर आवेदित भूमि रिक्त हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। औद्योगिक DCR अनुसार सरकारी भवन समस्त सड़क, पार्किंग, प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम भाण्डु खुर्द खसरा संख्या 301/300 में कोई वाद लम्बित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम भाण्डु खुर्द के खसरा संख्या 301/300 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Signature valid

Digitally signed by Dr. J. K. Prasad
Designation: Secretary
Date: 2024.03.15 11:59:21 IST

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम भाण्डु खुर्द खसरा संख्या 301/300 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम भाण्डु खुर्द खसरा संख्या 301/300 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 05 :: राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ सिनली को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ सिनली को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। ग्राम सिनली के खसरा संख्या 81 रकबा 48.2627 है. किस्म गे.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नमा दर्ज हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण एरिया प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। जी.आई.एस. रेकॉर्ड अनुसार आवेदित भूमि ओ.डी.आर. रोड़ पर स्थित हैं। ओ.डी.आर. रोड़ का मार्गधीकार 120 फीट रखा जाना हैं। Rural Area के DCR में Public & Semi Public Utililies मे Govt. Building का पृथक से वर्णन नहीं हैं। तथापि Public Utililies की अनुज्ञेयता On All Road After Approval From Competent Authority अंकित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग का छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिनली के खसरा संख्या 81 में कोई वाद दर्ज नहीं है।

अतः राजस्व ग्राम सिनली के खसरा संख्या 81 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण प्रयोजनार्थ निःस्वारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Hanuman Prasad
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 06 :: राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त निदेशक महिला व बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 1000/ 320 रकबा 8.5441 है. किस्म गै.मु गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग **Rural** प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग को छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय कार्यालय व भवन अनुज्ञेय हैं। आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 1000/320 में कोई वाद लंबित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 1000 वर्गफीट भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

RajKaj Ref
6990843
निर्णय

Digitally signed by Dr. Hareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक महिला व बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 1000/320 में आंगनवाडी केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 07 :: राजस्व ग्राम हमीर नगर (हनुमान नगर) खसरा संख्या 499 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर (हनुमान नगर) को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशांषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 499 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त निदेशक महिला व बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर (हनुमान नगर) खसरा संख्या 499 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 499 रकबा 5.6737 है. किस्म गे.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग **Rural** प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। वी.आर. रोड़ पर स्थित होने के कारण रोड़ को 100 फीट रखा जाना प्रस्तावित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के प्रतिबंधित भू-उपयोग को छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय कार्यालय व भवन अनुज्ञेय हैं। आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 499 में कोई वाद लंबित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम हमीर नगर (हनुमान नगर) के खसरा संख्या 499 में रकबा 1000 वर्गफीट भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ हमीर नगर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **Signature valid**

संयुक्त निदेशक महिला व बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम हमीर नगर (हनुमान नगर) खसरा संख्या 499 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

Digitally signed by Dr. Jareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.06.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम हमीर नगर खसरा संख्या 499 में आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 08 :: राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 463/1 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि वनपाल नाका कार्यालय, वनरक्षक चौकी कार्यालय व राजकीय पौधाशाला प्रयोजनार्थ को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशांषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 463/1 में रकबा 4.8 है। भूमि वनपाल नाका कार्यालय, वनरक्षक चौकी कार्यालय व राजकीय पौधाशाला प्रयोजनार्थ को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

वनपाल, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 463/1 में रकबा 4.8 है। भूमि वनपाल नाका कार्यालय, वनरक्षक चौकी कार्यालय व राजकीय पौधाशाला प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 463/1 रकबा 24.0707 है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031 के अनुसार Co-Operate Park में स्थित हैं तथा आवेदित भूमि जोनल प्लान की 30 मीटर सड़क पर स्थित हैं। DCR अनुसार Co-Operate Park में Govt. Utililies का उल्लेख हैं व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू-उपयोग को छोड़कर बाकी सभी भू-उपयोग में राजकीय कार्यालय अनुज्ञेय किये जा संकेगें। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालावास खसरा संख्या 463/1 में कोई वाद लंबित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 463/1 में रकबा 4.8 है। भूमि वनपाल नाका कार्यालय, वनरक्षक चौकी कार्यालय व राजकीय पौधाशाला प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

वनपाल, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 463/1 में रकबा 4.8 है। भूमि वनपाल नाका कार्यालय, वनरक्षक चौकी कार्यालय व राजकीय पौधाशाला प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 463/1 में नका कार्यालय एवं वनरक्षक चौकी कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज जावे।	निदेशक आयोजना

Signature valid

RajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Hareetima

Designation: Secretary

Date: 2024.03.13 17:59:21 IST

Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 9 :: सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम नारवा खिचियान के खसरा संख्या 140 में रकबा 01 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम नारवा खिचियान के खसरा संख्या 140 में रकबा 01 बीघा भूमि आवंटन की अभिषंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम नारवा के खसरा संख्या 140 में सार्वजनिक श्मशान हेतु रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारवाखिचियान के खसरा संख्या 140 रकबा 02-08 बीघा किस्म बारानी-द्वितीय का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि का मौका सरपंच महोदय के साथ देखा गया उन्होंने बताया कि उक्त भूमि छोटे मृतक बच्चों को दफनाने के रूप में उपयोग ली जा रही है। मौके पर भूमि खाली है। उक्त भूमि के पास प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिसका आवंटन भी इसी खसरे में हाल ही में हुआ है शेष भूमि पर प्रस्तावित भूमि है। मौके पर ग्रेवल रास्ता है एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारवा खिचियान के खसरा संख्या 140 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Landuse of the marked land is rural area as per MDP 2031 and the marked land is not affected by the MDP/ZDP road. The marked land is not situated on any village or road. As per DCR of jodhpur mdp report 2031 in rural area landuse there is no mention of cremation place but as per UDH order dated 3/6/22 cremation place can be permissible in all landuses except restricted landuses. Thus as per UDH order dated 3/6/22 cremation place is permissible in rural area landuse.

As this is already mentioned in noting that approach road to the applied land is not situated on any VR/ODR road but approach road is directly connected to the village road in south east direction and there is no commitment on the village road. So right of way of the approach road should be between 60 to 80 feet wide. Road network plan has been attached in PUC. Decision of right of way of approach should be taken at competent level.

श्मशान व कब्रिस्तान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम नारवा खिचियान के खसरा संख्या 140 में 01 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम नारवा के खसरा संख्या 140 में सार्वजनिक श्मशान हेतु रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम नारवा खिचियान के खसरा संख्या 140 हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि संबंधित ग्राम पंचायत को निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपरोक्त निर्णय -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निर्णय -5

प्रस्ताव संख्या 10 :: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में रकबा 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में रकबा 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभिषंषा की गई है।

चिकित्सा विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु रकबा 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 रकबा 16.0660 हैक्टेय किस्म गै.मु. गोचर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित है जिसके लिए पूर्व में खसरा संख्या 135/2 रकबा 0-15 बीघा किस्म गै.मु. शफाखाना में भूमि आवंटित है जो संतोडा से मालूंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 से संबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Landuse of the marked land is rural area as per MDP 2031 and the marked land is not affected by the MDP/ZDP road. The marked land is not situated on any village or road. As per DCR of jodhpur mdp report 2031 In rural area landuse there is no mention of cremation place but as per UDH order dated 3/6/22 cremation place can be permissible in all landuses except restricted landuses. Thus as per UDH order dated 3/6/22 cremation place is permissible in rural area landuse.

As this is already mentioned in noting that approach road to the applied land comes under category of village road so right of way of the road should be 100 feet for better vehicular movement as well as for betterment of future extension of village population. Part plan for both marked land have been attached in PUC.

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 140 में 4000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

चिकित्सा विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु रकबा 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु ग्राम संतोडा खुर्द के खसरा संख्या 135 हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कामिटमेंट दर्ज किया जावे।	उपायुक्त जोन -5

Signature valid

BajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Harpreet
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 12:59:21 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम चावण्डा के खसरा संख्या 71 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम चावण्डा के खसरा संख्या 71 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम चावण्डा में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम चावण्डा के खसरा संख्या 71 रकबा 176-09 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि खाली हैं एवं पहुंच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है एवं जिसमें न्यूनतम 60 फीट सडक मार्गाधिकार पर राजकीय पशु चिकित्सा उप केन्द्र उपयोग अनुज्ञेय है तथा प्रस्तावित भूमि ग्रामीण सडक पर स्थित है, जिसके मार्गाधिकार का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जावे। अतः प्रकरण में उक्त की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चावण्डा के खसरा संख्या 71 पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चावण्डा के खसरा संख्या 71 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार पशु चिकित्सालय उप केन्द्र हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम चावण्डा के खसरा संख्या 71 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन बाबत् प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम चावण्डा में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम चावण्डा के खसरा संख्या 71 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जेन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेड दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature valid है।

Digitally signed by Dr. Jareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम बावरली के खसरा संख्या 555 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम बावरली के खसरा संख्या 555 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम बावरली में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम बावरली के खसरा संख्या 555 रकबा 3.1242 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि खाली हैं एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है एव जिसमें न्यूनतम 60 फीट सडक मार्गाधिकार पर राजकीय पशु चिकित्सा उप केन्द्र उपयोग अनुज्ञेय है तथा प्रस्तावित भूमि ग्रामीण सडक पर स्थित है, जिसके मार्गाधिकार का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जावे। अतः प्रकरण में उक्त की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावें।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावरली के खसरा संख्या 555 पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावरली के खसरा संख्या 555 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार पशु चिकित्सालय उप केन्द्र हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम बावरली के खसरा संख्या 555 किस्म गै.मु. गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन बाबत् प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम बावरली में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बावरली के खसरा संख्या 555 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की जावे।	उपायुक्त जेन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेड दर्ज किया जावे।	निदेशक, आयोजना

Signature valid है।

Digitally signed by Dr. Jareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 में रा.प्रा. विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिपंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 में रा.प्रा. विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की अभिपंशा की गई है।

प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' व 'परिशिष्ट-1' में आवेदन पेश कर ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 में रा.प्रा. विद्यालय हेतु 7 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा में मार्क की गई भूमि ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 रकबा 22-07 बीघा किस्म बारानी प्रथम का स्वामित्व राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर भामाशाह द्वारा निर्मित सभाभवन में विद्यालय संचालित हैं। प्रस्तावित भूमि तक कच्चा मार्ग उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है, जिसमें न्यूनतम 60 फीट सड़क मार्गाधिकार पर रा.उ.प्रा. विद्यालय उपयोग अनुज्ञेय है। अतः प्रकरण में उक्त की सुनिश्चिता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार रा.प्रा.विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 किस्म बारानी प्रथम में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' व 'परिशिष्ट-1' में आवेदन पेश कर ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 में रा.प्रा. विद्यालय हेतु 7 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम जसनाथ नगर के खसरा संख्या 227 में रा.प्रा.विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज जावे।	निदेशक जसनाथ

Signature valid

RajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Hareetima
Designation: Secretary

Date: 2024.03.13 17:59:21 IST

Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिपंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिपंशा की गई है।

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम पोपावास में राजकीय पशु चिकित्सा हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 रकबा 74-06 बीघा किस्म बारानी तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राजस्व पटवारी की मौका फर्द संलग्न है। मौके पर भूमि खाली है। प्रस्तावित पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु पहुंच मार्ग सीसी सड़क उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है जिसमें न्यूनतम 60 फीट सड़क मार्गाधिकार पर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अनुज्ञेय हैं। तथा प्रस्तावित भूमि ग्रामीण सड़क पर स्थित है, जिसके मार्गाधिकार का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जावे। अतः प्रकरण में उक्त की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 रकबा 15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में किस्म बारानी तृतीय में 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम पोपावास में राजकीय पशु चिकित्सा हेतु 100x100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपपुलक जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज जावे।	आयोजना

Signature valid

RajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Hareetima

Designation: Secretary

Date: 2024.03.13 17:59:21 IST

Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में श्मशान हेतु भूमि आवंटन की अभिशंशा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' व 'परिशिष्ट-1' में आवेदन पेश कर ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में श्मशान हेतु 15.00 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 रकबा 74-06 बीघा किस्म बारानी तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राजस्व पटवारी की मौका फर्द अनुसार उक्त श्मशान भूमि में सीसी रोड़ एव पास में पानी की टंकी भी बनी हुई हैं। मौके पर भूमि सर्वसमाज के श्मशान के रूप में उपयोग ली जा रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है जिसमें न्यूनतम 60 फीट सडक मार्गाधिकार पर श्मशान अनुज्ञेय हैं। अतः प्रकरण में उक्त की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 रकबा 15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 किस्म बारानी तृतीय में 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' व 'परिशिष्ट-1' में आवेदन पेश कर ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में श्मशान हेतु 15.00 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम पोपावास के खसरा संख्या 135 में श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि संबंधित ग्राम पंचायत को निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे।	निदेशक जिनके द्वारा पालना

Signature valid

RajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Hareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम जाखडों की ढाणी के खसरा संख्या 318 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम जाखडों की ढाणी के खसरा संख्या 318 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' एवं 'परिशिष्ट-1' में आवेदन पेश कर ग्राम जाखडों की ढाणी के खसरा संख्या 318 में कब्रिस्तान हेतु रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जाखडों की ढाणी के खसरा संख्या 318 मिन रकबा 642-01 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि कब्रिस्तान के रूप में उपयोग ली जा रही हैं। राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके पर ग्रेवल रास्ता उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू उपयोग यू-2, वॉटर बॉडी व वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है, जिसमें वॉटर बॉडी की भूमि को छोड़कर तथा वृक्षारोपण पट्टी को खुला क्षेत्र रखते हुये न्यूनतम 60 फीट सड़क मार्गाधिकार पर कब्रिस्तान अनुज्ञेय है। अतः प्रकरण में उक्त की सुनिश्चितता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 318 ग्राम जाखडों की ढाणी से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जाखडों की ढाणी के खसरा संख्या 318 रकबा 42037 व.मी भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

आवंटन नीति 2015 के तहत कब्रिस्तान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम जाखडों की ढाणी नारवा के खसरा संख्या 318 में कब्रिस्तान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' एवं 'परिशिष्ट-1' में आवेदन पेश कर ग्राम जाखडों की ढाणी के खसरा संख्या 318 में कब्रिस्तान हेतु रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम जाखडों की ढाणी के खसरा संख्या 318 में कब्रिस्तान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि संबंधित ग्राम पंचायत को निःशुल्क आवंटित की जावे।	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटेमेंट दर्ज किया जावे।	जिनके द्वारा पालना की जानी है।

प्रस्ताव संख्या 17 :: ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 में रा.उ.मा. विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 में रा.उ.मा. विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 में रा.उ.मा. विद्यालय हेतु 3 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 रकबा 07042 किस्म गैर मुमकिन ठरडा का राजस्व रेकॉर्ड अनुसार स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। मौके पर विद्यालय संचालित हैं। प्रस्तावित खसरे में पूर्व में कोई विद्यालय हेतु भूमि आवंटित नहीं है। विद्यालय हेतु पहुंच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग हाइवे कॉरिडोर जोन हेतु आरक्षित है, जिसमें न्यूनतम 60 फीट सड़क मार्गाधिकार पर रा.उ.प्रा. विद्यालय उपयोग अनुज्ञेय है। अतः प्रकरण में उक्त की सुनिश्चिता करते हुये भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार किस्म गैर मुमकिन ठरडा 8094 व.मी. भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार रा.उ.मा. विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 किस्म बरानी प्रथम में 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 में रा.उ.मा. विद्यालय हेतु 3 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स.	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा संख्या 120 में रा.उ.मा. विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपरोक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	

Signature valid

RajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Hareetima

Designation: Secretary

Date: 2024.03.13 17:59:21 IST

Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 18 :: सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम जाखडो की ढाणी नारवा के खसरा संख्या 318 में रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिपंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम जाखडो की ढाणी नारवा के खसरा संख्या 318 में रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की अभिपंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम जाखडो की ढाणी नारवा के खसरा संख्या 318 में सार्वजनिक श्मशान हेतु रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जाखडो की ढाणी नारवा के खसरा संख्या 318 रकबा 642-01 बीघा किस्म गौ.मु.गोचर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर भूमि श्मशान के रूप में उपयोग में ली जा रही है। राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर ग्रेवल रास्ता उपलब्ध है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जाखडो की ढाणी से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Landuse of the marked land is Urban area 2 and plantation as per MDP 2031 and the marked land is affected by 30 MT wide plantation along water body and also not affected by any MDP/ZDP road. The marked land is not situated on any village /ODR road. As per DCR in jodhpur mdp report 2031 in Urban area 2 landuse there is no mention of Cremation place but as per UDH order dated 3/6/2022 cremation place can be permissible in all landuses except restricted landuses. Thus as per UDH order dated 3/6/2022 cremation place is permissible in Urban area 2 landuse.

As I already mentioned that the marked land is not situated on any village /ord /mdp/zdp road but approach road is directly connected to the odr road on south-west direction .There is no commitment on the approach road of marked land for allotment .There is 132kv gss work station on approach road and boundary wall of GSS is situated on 50 feet from center line of the approach road as per google. So right of way of the approach road should be 100 feet. Decision of right of way of श्मशान व कब्रिस्तान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः सार्वजनिक श्मशान हेतु ग्राम जाखडो की ढाणी नारवा के खसरा संख्या 318 में रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि आवंटन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

RajKaj Ref
6090843

निर्णय

Digitally signed by Dr. Hareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम जाखडो की ढाणी नारवा के खसरा संख्या 318 में सार्वजनिक श्मशान हेतु रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम जाखडो की ढाणी नारवा खसरा संख्या 318 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि संबंधित ग्राम पंचायत को निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 19 :: पम्प रूम हेतु ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	पम्प रूम हेतु ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में भूमि आवंटन अभिषा बाबत।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स प्रस्तुत कर पम्प रूम का निर्माण हेतु ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 रकबा 11.05 बीघा किस्म बारानी प्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है तथा मुख्य झंवर रोड 200 फीट पर स्थित है प्रस्तावित भूमि के अक्षान्तर व देशान्तर 26.240162 तथा 72.941982 है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा नं. 717 में उच्च जलाशय को आवंटित भूमि के संबंध में कोई बाधा नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Landuse of the marked land is Residential as per MDP 2031 and The marked land is situated on 60 meter wide mdp road. As per DCR of jodhpur mdp report 2031 in residential landuse there is no mention of pump room but as per UDH order dated 3/6/2022 water distribution center can be permissible in all landuses except restricted landuses. Thus as per UDH order dated 3/6/2022 pump room can be permissible in residential landuse.

राजकीय विभागों को उनके कार्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। अतः पम्प रूम हेतु ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में 300 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

Signature valid

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत प्रपत्र-स व परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर ग्राम अजीत नगर बालरली के खसरा संख्या 564/4 में सार्वजनिक श्मशान हेतु रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 717 में पम्प रूम हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 300 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक / बैठक / 2024 /

दिनांक:— 2024

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष / आयुक्त महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
- 2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
- 3 निदेशक, अभियांत्रिकी / आयोजना / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 4 उपायुक्त—जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 6

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Hareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट -1

श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28 फरवरी , 2024 को साय 04:30 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

01. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
03. श्री राजपाल यादव , उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4 , 5 , 6 , उपसचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
04. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
05. श्री जगदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
06. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।

Signature valid

RajKaj Ref
6090843

Digitally signed by Dr. Hareetima
Designation: Secretary
Date: 2024.03.13 17:59:21 IST
Reason: Approved